राजस्व लोक अदालत केम्प पाटोदी तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस
मुकदमा न0 149/2018 2018/01461

वादीनी :– 1 अशोक कुमार पुत्र भूरा कौम भील निवासी पाटोदी तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. राणा, धना, रावता, नेमा पुत्र भूराराम जाति भील निवासी पाटोदी
2. तहसीलदार पचपदरा

88 आर.टी.ए **दावा बाबत घोषणा**

निर्णय दिनांकः–22.06.2018

वादी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत पाटोदी में प्रस्तुत की गई है।

वादी ने वाद पत्र में जाहिर किया कि ग्राम चिलानाडी के ख0 न0 3636 में वादी का नाम फौतगी म्यूटेशन दर्ज करते समय लिपिकीय त्रुटि से अशोक कुमार के स्थान पर पपीया दर्ज हो गया, जबकि सरकारी दस्तावेज मे सही नाम अशोक कुमार है। अतः अशुद्व नाम पपीया की जगह शुद्व नाम अशोक कुमार करने का निवेदन किया है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जमाबंदी व पटवारी पाटोदी/ आर.आई पाटोदी की संयुक्त रिपोर्ट व बयानकर्ता राणाराम, धनाराम, रावताराम नेमाराम, पांचीदेवी के ब्यानो का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम चिलानाडी के ख0 न0 3636 में वादी का नाम पपीया राजस्व रेकर्ड में अशुद्व नाम दर्ज है। जब कि अन्य सरकारी दस्तावेज में अशोक कुमार दर्ज है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम चिलानाडी के ख0 न0 3636 में तहसीलदार पचपदरा वादी का नाम पपीया के स्थान पर अशोक कुमार नाम दर्ज करे।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प...पाटोदी.......

Scanned by CamScanner